मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 101/1 (5) 80 — भोपाल, दिनांक 19 फरवरी, 1980

प्रति,

समस्त कमिश्नर,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 में संशोधन.
संदर्भ.—इस विभाग का दिनांक 27 दिसम्बर 1979 का वायरलेंस संदेश क्र. 527/1 (3)

आपको सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के उप नियम (2) के खण्ड (क) के बाद नया खण्ड (कक) जोड़ने के संबंध में किए गए संशोधन को शासन ने निरस्त कर दिया है यदि आपने इस संशोधन के बारे में अन्य कार्यालयों को सूचना दी हो तो कृपया उन कार्यालयों को सूचित कर दें कि वह संशोधन अब निरस्त कर दिया गया है.

हस्ता./-
(एन. आर. कृष्णन,)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ. क्रमांक 6-2-78-3-1 — भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल, 1980

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—एक वर्ष से अधिक समय तक निलंबित शासकीय सेवकों के मामलों की समीक्षा करना.
संदर्भ.—इस विभाग का दिनांक 27 सितम्बर 1978 का सम संख्या का ज्ञापन

उपर्युक्त ज्ञापन के पैराग्राफ 3 में राज्य शासन द्वारा नियुक्त किये गये अधिकारियों के निलंबन के प्रकरणों पर विचार करने के लिये गठित समिति के स्थान पर निम्नलिखित समिति का गठन किया गया है :—

(1) मुख्य सचिव .... अध्यक्ष
(2) विभागीय सचिव .... सदस्य
(3) संबंधित विभागाध्यक्ष .... सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. आर. कृष्णन,
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.